

फैक्ट सीट

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला - पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00 कि०मी०)

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे०मी०)

आरक्षित वन भूमि	—	शून्य हे०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	—	0.090 हे०
वन पंचायत भूमि	—	0.360 हे०
योग वन भूमि	—	0.450 हे०
निजी भूमि	—	3.500 हे०
योग	—	3.950 हे०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम:- प्रा०ख०लो०नि०वि०,लैन्सडौन

3. वन प्रभाग का नाम:- गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी (गढ़वाल)

4. प्रस्ताव वांछिग किया गया है :- हाँ

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - हाँ

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी विन्दुओं की सूचना भरी गई है। हाँ

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ

10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। लागू नहीं है।

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से कोई भी वॉज का वृक्ष प्रभावित नहीं होना है।

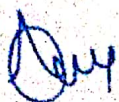
12. संरक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ

कमश:-2

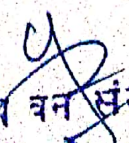
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है हाँ
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण -पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। हाँ
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। कुल आपेक्षित वन भूमि 1.00 हे० से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है।
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है— हाँ
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है— नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है— नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है— हाँ
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) नया प्रस्तावित है।
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है — हाँ
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है— दर्शाया गया है।
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। लागू नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें /वैकल्पिक संरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं — हाँ

28. वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) संलग्न
29. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) लागू नहीं
30. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है हाँ
31. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है- हाँ
32. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है- हाँ
33. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियों संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है- हाँ
34. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण -पत्र संलग्न है लागू नहीं
35. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- हाँ
36. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण -पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हाँ
37. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्स शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।


अधिसासी अभियन्ता
प्र०खण्ड, लो० नि० वि०,
लेनोडीन (गढ़वाल)


पौड़ी गढ़वाल।


उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी


सहायक अभियन्ता
प्र०खण्ड, लो० नि० वि०,
लेनोडीन (गढ़वाल)